



कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

क/एफ-166/स्टे.आयु./2021-22/3927

भिलाई, दिनांक 15/07/2021

// आदेश //

छत्तीसगढ़ विधानसभा का जुलाई 2021 सत्र दिनांक 26 जुलाई 2021 से 30 जुलाई 2021 तक आहूत किया गया है। इस दौरान प्राप्त होने वाले विधानसभा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाएं, स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल के प्रश्न आदि का उत्तर समय-सीमा में शासन को भेजा जाना होता है।

अतः उक्त सत्र के दौरान बगैर सक्षम स्वीकृति के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी अवकाश पर न जावे व मुख्यालय से बाहर न रहें। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी बगैर सक्षम स्वीकृति के अवकाश पर रहेंगे, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


(ऋतुराज रघुवंशी)
आई.ए.एस.


आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क/एफ-166/स्टे.आयु./2021-22/3928

भिलाई, दिनांक 15/07/2021

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर सह प्रशासक महो. नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, संभाग, दुर्ग, को सूचनार्थ।
4. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
5. नोडल अधिकारी विधानसभा, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
6. उपायुक्त, I/II, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
7. जोन आयुक्त /कार्यपालन अभियंता, जोन-1,2,3,4,5,6, जलकार्य/स्वास्थ्य/कम्प्युटर / विद्युत/भवन संधारण, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम भिलाई को निगम के वेबसाईट (आदेश फाईल) में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
9. सहायक नोडल अधिकारी विधानसभा, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
10. संबंधित विभाग प्रमुखनगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई